//

पत्रांक–1 / स्था0–बि0त0क0च0आ0(बजट)–07 / 2016.............

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग,
पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट मुख्य शीर्ष–2051–लोक सेवा आयोग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–कर्मचारी चयन आयोग, उप शीर्ष–0002–बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (माँग संख्या–33) विपत्र कोड–33–2051001030002 के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से कुल रु0 60,00,000 / – (साठ लाख रुपये) मात्र व्यय हेतु अतिरिक्त आबंटन

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शीर्ष में वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1208 दिनांक–13.12.2017 के आलोक में में वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के स्थापन के विभिन्न विषय शीर्षों में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से कुल रु0 60,00,000 / –(साठ लाख रुपये) मात्र निम्न प्रकार आवंटित किया जाता हैः–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि (रुपये में)	इस पत्र द्वारा अतिरिक्त आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4
0002.01.01. वेतन	47,12,000	7,12,000	40,00,000
0002.01.02. विशेष वेतन	6000	6,000	00
0002.01.03. जीवन यापन भत्ता	18,69,000	10,69,000	8,00,000
0002.01.04.मकान किराया भत्ता	9,99,000	4,99,000	5,00,000
0002.01.05. परिवहन भत्ता	4,05,000	5,000	4,00,000
0002.01.06. चिकित्सा भत्ता	3,05,000	5,000	3,00,000
	कुल–82,96,000	कुल–22,96,000	कुल– 60,00,000

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/ प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

4. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

5. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिए जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

6. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

7. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

8. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(अजय कुमार चौधरी)
अध्यक्ष

3.1.18
सचिव
बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग
पटना

ज्ञापांक–1/स्था0–बि0त0क0च0आ0(बजट)–07/2016...05...पटना, दिनांक 4-1-18

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग(बजट शाखा), बिहार, पटना/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचंद पटेल पथ, पटना/लेखा शाखा(दोहरी प्रतियों में), बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष 4-1-18